न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैलाश। बनाम प्रकाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मु.नं. 2/2021 पत्थरगढ़ी	
20/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी नं. 9 की बहसवार तामील नोटिस पत्रावली दिनांक 27-7-2021 को पेश हो। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। (हस्ताक्षर)	
27.07.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी नं. 9 की नोटिस तामील असालतन होकर लौटी हैं। बावजूद तामील हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी नं. 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी सहमति प्रदान की है तथा अप्रार्थी संख्या 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 295, 296, 301 कुल किता 3 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर व खसरा नम्बर 297/312 रकबा 0.50 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अविनाशी पटवार हल्का सावंलपुरा तंवरान् तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण 1/5-1/5 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार [illegible] खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का वि[illegible] सीमाज्ञान दिनांक 23.12.2020 [illegible]तहसीलदार श्री[illegible]पुर के आदेश पर पटवारी हल्का सांव[illegible] मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। मौके पर उक्त भूमि खाली है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.06 12:24:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैलाश बनाम प्रकाश वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पत्थरगढ़ी

मु.नं. -2/2021

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान द्वारा दिनांक 23.12.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 295, 296, 301 कुल किता 3 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर व खसरा नम्बर 297/312 रकबा 0.50 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अविनाशी पटवार हल्का सावंलपुरा तंवरान् तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान द्वारा दिनांक 23.12.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.06 12:24:48 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 27.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)